

Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी,


मोहनराम पुत्र लच्छुराम जाति जाट निवासी समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

बनाम गणपतराम वगैरह

मुकाम श्रीडूंगरगढ

राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 67/2025

U/S 188 RTA

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
08.05.2025	<p>आज यह वाद मोहनराम ने जरिये श्री मांगीलाल नैण अधिवक्ता मार्फत पेश किया। वादी को 80(2) सीपीसी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वाद दर्ज रजिस्टर हों। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 30.06.2025 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ</p>	
30-06-2025	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वकील फरीदीन उपस्थित। हेतु समय बादा समग्र दिया जाकर पत्रावली वास्ते <u>14-08-2025</u> आईन्दा दिनांक <u>05-08-2025</u> को पेश हो</p>	
05-08-2025	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाव उपस्थित। SDO Sb. <u>अनुप शर्मा</u> ने के कारण पत्रावली वास्ते <u>14-08-2025</u> हेतु दिनांक <u>14-08-2025</u> को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">रीडर</p>	
07.8.2025	<p>आज मद्य पत्रावली वादी ने जरिये अधिवक्ता उपरि पत्र दावा धिरो करने का पेश करने का प्रेरण में ली गई। वादी द्वारा उपरि पत्रावली के मिश्रण किमा जाता कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य जोत अदालत की भावना से तमा समझने में किम अमितो की आपसी समझिरी से राजीनामा हो उत्रे। शक्तिर वादी उन्नत दावा में प्रतिवादीगण के विरुद्ध अति नैव उपवादी नही पाएता है व शक्तिरने पर वादी अपन दावा के धिरो करने पाएता है। लिहाज उपरी/वादी द्वारा उपरि पत्रावली का किमा पाएता वादी वास्ते जरिये धिरोयल रजिस्टर पर खारिज किमा जाता है। पत्रावली वाद तजमील की वादिमान मस से कम होने दाधिज व फास हो</p> <p style="text-align: center;">(अनुप शर्मा)</p>	<p>प्रो एन २१५</p> 

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)